International Journal of Applied Research 2017; 3(1): 945-947

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(1): 945-947
www.allresearchjournal.com
Received: 22-11-2016
Accepted: 26-12-2016

अंजली कुमारी
शोध–छात्रा, विश्वविद्यालय गृह–विज्ञान विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अंजली कुमारी
शोध–छात्रा, विश्वविद्यालय गृह–विज्ञान विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

गृह–प्रबंधन में कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका

अंजली कुमारी

सारांश
कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है– घरेलू एवं बाह्य। अर्थात् उन्हें अपने घर–परिवार, रिश्ते–नाते के साथ–साथ ऑफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है और इन सब में प्रमुख है दोनों के बीच संतुलन, क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ–साथ आम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की नारियाँ भी शिक्षित हुई और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। कई महिलाओं ने उसमें सफलता भी प्राप्त की, लेकिन पितृवादी सोच हमेशा उनके आड़े आती है, जो उनकी परेशानियों का कारण बनती है। घर के बाहर की समस्या एवं ऑफिस में अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। फलतः वे पूरी तरह से सहज नहीं हो पाती हैं।

प्रस्तावना
कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिलाओं के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात वे महिलाएँ जो बाहर नियमित रूप से आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। ''कामकाजी महिला शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले कार्य में लगी हैं।'' काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, दूसरे व्यक्तियों से काम लेना भी है तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन देना आदि भी सम्मिलित है। आज जब भारतीय नारी के लिए कामकाजी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह मात्र स्कूलों, कॉलेजों अथवा कार्यालयों में सहज सरल ढंग से कार्य करने वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गया बल्कि उद्योग धन्धों, कारखानों में व व्यवसायों में भी कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है। वर्तमान में महिलाएं ऐसे कार्यों में प्रवेश कर रही हैं जिन पर सदियों से पुरूषों का एकाधिकार था। आज महिलाएँ न्यायालयों में, अस्पतालों में, स्कूल–कॉलेजों में, उद्योगों में, प्रशासन में, राजनीतिक क्षेत्रों में, व्यवसायिक क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में कार्यरत् हैं।
कामकाजी महिलाओं को घर एवं बाहर दोनों स्थलों पर सामंजस्य बैठाना पड़ता है इस वजह से वे तनावग्रस्त हो जाती हैं। एक स्त्री मातृत्व के पश्चात् शारीरिक रूप से अति दुर्बल हो जाती है। दुर्बल शरीर के कारण उसके लिए हर समय घर के कार्यों को करना संभव नहीं हो पाता है, किन्तु परिवार की धुरी होने के कारण घर–परिवार की चिन्ता उसे करनी ही पड़ती है। फलस्वरूप अनावश्यक भाग दौड़ के कारण वह मानसिक एवं शारीरिक थकान एवं तनाव से गुजरने लगती है। यदि वह कामकाजी है, तो उसे कार्यस्थल के कार्यों की चिन्ता भी करनी पड़ती है। जिसकी वजह से उसका तनाव एवं थकान दुगूना हो जाता है। कभी–कभी उसका पारिवारिक जीवन जिसका प्रभाव कार्यस्थल पर भी पड़ता है।
महिलाओं का कार्यक्षेत्रीय जीवन उसके पारिवारिक जीवन से भिन्न होते हुए भी उससे अलग नहीं होता। चूँकि आज भी पारिवारिक दायित्व एक महिला के मूल एवं प्रथम दायित्व समझे जाते हैं तथा कामकाजी दायित्वों को अतिरिक्त दायित्व कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि पारिवारिक समस्या कहीं न कहीं कार्य स्थल में भी महिला को प्रभावित करती है।
कहीं न कहीं कामकाजी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं कार्यस्थल में उनका कार्य पारिवारिक समस्याओं की वजह से प्रभावित भी होता है। यह स्थिति उन परिवारों में अधिक थी जहाँ महिलाओं के बच्चे छोटे थे या उनके साथ बुर्जुग थे और घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अक्सर देखा जाता है कि कामकाजी महिलाओं पर दोहरी व्यस्तता एवं कार्य के दोहरे बोझ के कारण वे मानसिक तनाव, थकान व चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हो जाती हैं। यदि घर–परिवार में उनकी मदद करने वाला कोई न हो तो यह स्थिति अत्यधिक गम्भीर रूप धारण कर लेती है।

घर से बाहर जाकर नौकरी करने वाली महिलाओं, विशेषकर पुरूष सहकर्मियों के बीच काम करने वाली महिलाओं के सामने अनेक समस्याएँ आती हैं जिनके उत्पन्न होने का कारण यही होता है कि कामकाजी महिला के व्यक्तित्व का आँकलन उसकी योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्त्रीत्व के आधार पर किया जाता है। कई बार समान पद होने या उच्च पद होने पर भी एक महिला को कार्यस्थल पर वह स्थान नहीं मिल पाता जो उसे उसके पद के अनुसार मिलना चाहिए। एक महिला होने के नाते उसका स्थान कार्यस्थल में भी निम्न ही रहता है।

अनेकों बार देखा जाता है कि कमर्चारी के रूप में एक महिला कितनी कुशल है, यह बात मायने नहीं रखती है बल्कि उसमें नारी सुलभ आकषर्ण कितना है यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से अधिकारियों तथा सहकर्मियों द्वारा महिला कमर्चारियों का शोषण शुरू होने लगता है। कई बार पुरूष अधिकारी अधीनस्थ महिला कर्मचारी का यौन–शोषण करना अपना अधिकार समझते हैं। कई बार स्त्री होने के नाते एक महिला को उसी के समकक्ष पुरूष सहकर्मी से कमतर समझा जाता है, फलस्वरूप महिलाएँ लिंग–विभेदीकरण की समस्या से भी कार्यस्थल में जूझती रहती हैं, साथ ही महिलाएँ कार्यस्थल में स्वयं को कई बार असुरक्षित महसूस करती हैं।

आज के संदर्भ में देखा जा रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं यद्यपि अभी भी अनेक महिलाओं की भागीदारी इसमें नहीं है। हमारे समाज में एक महिला को हमेशा से ही दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त है इस वजह से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल में महिला होने के कारण वे पुरूष सहकर्मियों की उपेक्षा झेलती रहती है यदि एक महिला होने के साथ–साथ वह एक अनुसूचित जाति से भी सम्बन्ध रखती है तो उसके साथ सहकर्मियों स्त्री/पुरूष दोनों द्वारा किये गये व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है।

कामकाजी महिलाएँ दिन–प्रतिदिन के आर्थिक समस्याओं को पूरा करने के लिए दफ्तरों और इत्यादि जगहों पर जाकर काम करती है। आजकल दुनिया में काफी परिवर्तन आया है। पुराने दिनों की तरह लड़कियों अब अशिक्षित नहीं रही है। महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर सर्वत्र जगह चल रही है और कामयाब भी हो रही है।

महिलाएँ आज एक सफल इंजीनियर है, डॉक्टर है, शिक्षक है, दफ्तरों के अफसर है एवं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं ने अपनी काबिलियत को प्रमाण न किया हो। सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में बैठकर कार्य करना फिर अपने परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों और पति की छोटी–बड़ी जरूरतों का विशेष ध्यान देना महिलाएँ बखूबी करती है। पुरुषों के पास दफ्तरों से आकर आराम करने का विकल्प होता है लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। चाहे वह कितनी भी थकी हो उन्हें घर पर अपना कर्तव्य प्रत्येक दिन पालन करना पड़ता है।

महिलाएँ अपने–अपने क्षेत्र में इतने बेहतरीन कार्य करती है जिससे उनके परिवार और समाज को उनपर नाज होता है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए कई सारे नियम बनाये है ताकि महिलाएँ सड़कों और बाहर सुरक्षित महसूस करे। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या–भ्रूण हत्या और घरेलु हिंसा के प्रति कड़े नियम लागू किये हैं। भारत में आज भी कामकाजी महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, क्यों की देर रात को उनकी सुरक्षा का खतरा अभी भी समाज में प्रश्न चिह्न बनकर खड़ा है। लेकिन किसी भी महिलाओं के लिए दफ्तरों द्वारा कैब का प्रबंध किया गया है ताकि वह सुरक्षित अपने घर तक पहुँच सके।

महिलाएँ आज सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं और देश एवं समाज के लिए एक जीता–जागता उदाहरण पेश किया है। दफ्तर के साथ परिवार की हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती है और शायद अपना ध्यान नहीं रख पाती है। महिलाओं ने अपने जीवन के हर किरदार जैसे माँ, बेटी, बहु, भाभी, बीवी निभाएँ है और सारे कर्तव्यों का पालन भी किया है।

महिलाओं के नौकरी करने के कारण घर में कई आर्थिक समस्याएँ दूर हो गयी है। लेकिन फिर भी दफ्तरों में उन्हें काफी भेद–भाव का सामना करना पड़ता है जैसे उचित पद पर तरक्की न होना और प्रोत्साहन का अभाव इत्यादि। कुछ महिलाएँ यह सब चुप चाप सहन कर लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाएँ शिक्षित नहीं हो रही है और बाहर जाकर काम करने के सोच से अभी पीछे है। इसका कारण पुरुषों की सोच है जो गाँव की महिलाओं को शिक्षित होने से रोकती है। पुरुषों और महिलाओं की समानता वाली सोच अभी भी समाज में पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है। पहले की तुलना में समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति काफी विकसित हुआ है।

कुछ महिलाएँ समाज के सोच की फिक्र ना करते हुए खुद अपने पाँव पर खड़े होकर समाज और परिवार के लिए एक मिसाल कायम करती है। महिलाओं की सोच आज हर दिशा, समाज और देशों में फैला हुआ है। चाहे वह व्यापार हो या राजनैतिक पद संभालना, हर काम निपुण रूप से करती है। महिलाओं के बगैर समाज की कल्पना करना बेकार है। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। अगर महिलाएँ शिक्षित न हुयी और आत्मनिर्भर ना हुई तो आधा देश अशिक्षित रह जाएगा। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो परिवार भी उसके साथ शिक्षित होता है।

पूरे विश्व और कई छोटे महाद्वीपों में औरतों ने अपने प्रतिभाओं से सबको चकित कर दिया है। हर क्षेत्र में जैसे सेना, परिवहन, ड्राइवर जैसे कार्यों में पुरुषों की तरह जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ काम किया और अपने आपको साबित किया। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी औरतों ने कई मैडल जीते। इसके साथ ही उन्होंने अपना और अपने देश का नाम रौशन किया।

कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाली समस्याएँ

1. ऑफिस में 'सेक्सुअल हरासमेंट' का डर।
2. अपने सहकर्मी से पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पाना।
3. महत्त्वपूर्ण भूमिका न दिये जाना।
4. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर मजाक बनाना।
5. महिलाएँ अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र में ही हैं, अतः जीवन, व्यवसाय इत्यादि की असुरक्षा तथा निम्न वेतन।
6. जैविक कार्यों (मातृत्व इत्यादि) के लिये भी पर्याप्त छुट्टी न मिल पाना।

चूँकि, पारंपरिक रूप से घर का काम महिलाओं के हिस्से आता था। लेकिन तब की स्थिति अलग थी, क्योंकि तब महिलाएँ घर में ही काम करती थीं। लेकिन अब जबकि वे बाहर निकलकर काम करने लगी हैं, तब भी उनसे घर के सारे काम करने की उम्मीद की जाती है। एक कामकाजी महिला को कामकाजी पुरुषों से दुगना काम करना पड़ता है। अपने बच्चे, पति, सास–ससुर इत्यादि सभी का भी ख्याल पूर्ववत् रखना पड़ता है।

चूँकि अब महिलाएँ संयुक्त परिवारों में नहीं रहती इसलिये उनका हाथ बँटाने वाला कोई नहीं है। इस कारण घर हो या कार्यक्षेत्र तिगुना काम उन्हें करना पड़ता है। जिससे उनकी समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं।

समाधान

1. घरेलू कार्यों में पुरुषों को महिलाओं के साथ बराबरी से काम में हाथ बँटाना चाहिये।
2. घर से बाहर, जैसे– ऑफिस, परिवहन के साधन इत्यादि की व्यवस्था इतनी सुरक्षित एवं 'वुमन फ्रेंडली' हो कि वे वहाँ सुरक्षित महसूस कर सकें।

3. इनकी जैविक आवश्यकता को देखते हुए छुट्टियों की पर्याप्त व्यवस्था हो।
4. संगठित क्षेत्रों में तो 'मातृत्व लाभ' अब अनिवार्य हो गया है परंतु असंगठित क्षेत्र में भी ऐसी कुछ व्यवस्था हो या फिर सरकार की ओर से कुछ वित्तीय सुरक्षा दी जाए।
5. 'डॉमेस्टिक हेल्प' को विनियमित तथा सुरक्षित बनाया जाए, ताकि महिलाओं की सहायता हो सके। तभी हम सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी बढ़ा सकेंगे और अरुंधति राय, चंदा कोचर, किरण मजूमदार की तरह अनेक महिला उद्यमी, लोक सेवक बन सकेंगी।

निष्कर्ष

महिलाओं से परिवार और कार्यस्थल बहुत उम्मीदें रखता है। महिलाएँ भी इंसान होती है मशीन नहीं। घर में यह आशा की जाती है कि वह कार्यस्थल से आकर फिर अपना गृहस्थी संभाले। महिलाओं को गृहणी के रूप में भी सारी अपेक्षाओं को पूरा करती है। कितनी भी थकान हो वह अपने परिवार को महसूस होने नहीं देती है। कभी परिवार के सदस्यों को भी उन्हें समझने की जरूरत है, खासकर पुरुषों को। हम पुरुष–शाशित समाज में रहते है जहाँ हर फैसला लेने से पहले महिलाओं को उनसे पूछना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएँ शान्ति से समझौता करते हुए अपनी दोहरी भूमिका बेहतरीन रूप से निभाती है।

संदर्भ सूची

1. कैरियल डाइजेस्ट : कैरियर्स फॉर वीमेन, नई दिल्ली, 2005
2. नीरा देसाई, वीमेंन इन मार्डन इण्डिया, बाम्बे, वारो एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिव., 2008
3. प्रेमशंकर झा, वर्किंग वीमन : नो फ्यूचर? फेमिना, 27 अक्टूबर, 1972
4. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, दिल्ली, मैकमिलन इण्डिया, 1982
5. एस.सी. दूबे, मेन्स एण्ड वीमेन्स रोल्स इन इण्डिया, वीमेन इन न्यू ऐशिया, बारबरा ई वार्ड, पेरिस, यूनेस्को, 1963
6. फ्रेन्सटीन केरेन, वर्किंग वीमेन एण्ड फेमिलीज, सेज इयर बुक्स इन वीमन्स पालिसी स्टडीज, लन्दन, सेज पब्लिकेशन, 1979
7. प्रमिला कपूर, भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1976
8. वनिता पत्रिका, जून– 2006
9. योजना, अगस्त, 2006